

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 फरवरी 2020—माघ 23 शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्र. 2846-38-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 7 फरवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०२०

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१९

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा १३ का संशोधन.
४. धारा १९ का संशोधन.
५. धारा २२ का स्थापन.
६. धारा ३३ का संशोधन.
७. धारा ४० का संशोधन.
८. धारा ४७ का स्थापन.
९. धारा ५० का संशोधन.
१०. धारा ५९ का संशोधन.
११. धारा ६७ का स्थापन.
१२. धारा ७२ का संशोधन.
१३. धारा १०८ का संशोधन.
१४. धारा ११० का संशोधन.
१५. धारा ११४ का संशोधन.
१६. धारा १२९ का संशोधन.
१७. धारा १३४ का संशोधन.
१८. धारा १५८ का संशोधन.
१९. धारा १६५ का संशोधन.
२०. धारा १७६ का अंतःस्थापन.
२१. धारा १८३ का संशोधन.
२२. धारा २४४ का स्थापन.
२३. धारा २४५ का स्थापन.
२४. धारा २४८ का संशोधन.
२५. धारा २५७ का संशोधन.
२६. धारा २५८ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०२०

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ७ फरवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ फरवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें उसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में उप-धारा (१) में, खण्ड (प) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

धारा २ का संशोधन.

“(प) ‘राजस्व अधिकारी’ से अभिप्रेत है, धारा ११ में उल्लिखित राजस्व अधिकारी;”.

३. मूल अधिनियम की धारा १३ में,—

धारा १३ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) के परंतुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाये, अर्थात्:—

“(३) राज्य सरकार, किसी भी संभाग या जिले या उपखण्ड या तहसील की सीमाओं में परिवर्तन करने या नवीन सृजन करने या विद्यमान संभागों, जिलों, उपखण्डों या तहसीलों को समाप्त करने के किसी भी प्रस्ताव पर इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व, ऐसे प्रस्तावों पर विहित प्ररूप में आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी.”.

४. मूल अधिनियम की धारा १९ में, उपधारा (२) एवं उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

धारा १९ का संशोधन.

“(२) कलक्टर, किसी तहसीलदार को किसी तहसील का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.

(३) कलक्टर, किसी तहसील में एक या एक से अधिक अपर तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार नियुक्त कर सकेगा जो वहां ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन तहसीलदार को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं, जैसा कि जिले का कलक्टर, लिखित आदेश द्वारा निदेशित करे.”.

धारा २२ का स्थापन.

५. मूल अधिनियम की धारा २२ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“२२ उपखण्ड अधिकारी.—कलक्टर, किसी सहायक कलक्टर या संयुक्त कलक्टर या डिप्टी कलक्टर को जिले के एक या एक से अधिक उपखण्डों का भारसाधक बना सकेगा जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा या इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उपखण्ड अधिकारी को प्रदत्त की गयी हैं या अधिरोपित किए गये हैं.”

धारा ३३ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३३ में शब्द एवं अंक “धारा ४१” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “धारा २५८” स्थापित किए जाएं.

धारा ४० का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४० में, शब्द “इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार” का लोप किया जाए.

धारा ४७ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा ४७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“४७. अपीलों की परिसीमा.—प्रथम तथा द्वितीय अपील फाइल करने के लिये परिसीमा अवधि, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है की तारीख से, पैंतालीस दिन होगी:

परन्तु जहां कोई आदेश, जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा रही है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रवृत्त होने के पूर्व किया गया था, वहां अपील करने की परिसीमा की अवधि, उक्त संशोधन अधिनियम के पूर्व संहिता में उपबंधित किए गए अनुसार होगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी ऐसे पक्षकार को, जो उस पक्षकार से भिन्न हो जिसके कि विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, उस तारीख की, जिसको कि आदेश पारित किया गया था, कोई पूर्व सूचना न रही हो, वहां परिसीमा की संगणना ऐसे आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से की जाएगी.”

धारा ५० का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ५० में, उपधारा (३) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) ऐसा आदेश, यदि वह पुनरीक्षण का आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया होता तो कार्यवाहियों का अंतिम रूप से निपटारा कर देता; या”

धारा ५९ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (९) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(९) यदि भूमिस्वामी उपधारा (६) के अधीन व्यपवर्तन की प्रज्ञापना देने में असफल रहता है तो उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रीमियम की गणना तथा ऐसे व्यपवर्तन के मद्दे देय भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण करेगा और देय कुल रकम के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति भी अधिरोपित करेगा:

परन्तु ऐसा पुनर्निर्धारित भू-राजस्व व्यपवर्तन की वास्तविक तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के अध्याधीन रहते हुए, देय होगा:

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी.”

११. मूल अधिनियम की धारा ६७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ६७ का स्थापन.

“६७.—सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक, भूखण्ड संख्यांक की विरचना और उनको नगरेतर क्षेत्रों में, ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टर में समूहीकृत करना.—इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, जिला सर्वेक्षण अधिकारी—

- (क) उस भूमि का, जिस पर भू-सर्वेक्षण किया जाना है, मापन कर सकेगा तथा उस पर उतनी संख्या में सर्वेक्षण चिन्हों को संनिर्मित कर सकेगा जितने कि आवश्यक हों;
- (ख) यदि ऐसी भूमि कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में है तो ऐसी भूमि को सर्वेक्षण संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित कर सकेगा;
- (ग) यदि ऐसी भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग में है तो ऐसी भूमि को ब्लाक संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान ब्लाक संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, ब्लाक संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन ब्लाक संख्यांक विरचित कर सकेगा;
- (घ) भूमि, जो गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में है, के ब्लाक को भूखण्ड संख्यांकों में विभाजित कर सकेगा, विद्यमान भूखण्ड संख्यांकों को मान्य कर सकेगा, भूखण्ड संख्यांकों को पुनर्गठित कर सकेगा या नवीन भूखण्ड संख्यांक विरचित कर सकेगा;
- (ङ) सर्वेक्षण संख्यांकों तथा ब्लॉकों को नगरेतर क्षेत्रों में ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में सेक्टरों में समूहीकृत कर सकेगा:

परन्तु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) के अधीन अनुमोदित विन्यास की सीमाओं के भीतर आने वाली किसी भूमि के भूखण्ड इस संहिता के अधीन भूखण्ड समझे जाएंगे:

परन्तु यह और कि यहां इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय और क्षेत्र की अनुमोदित विकास योजना, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन रहते हुए, भविष्य में न्यूनतम विहित सीमा से कम का कोई सर्वेक्षण क्रमांक या भूखण्ड क्रमांक निर्मित नहीं किया जाएगा.”

१२. मूल अधिनियम की धारा ७२ में, शब्द “ऐसी दरों पर, जैसी की विहित की जाएं,” के स्थान पर, शब्द “धारा ५९ एवं ६० के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार” स्थापित किए जाएं.

धारा ७२ का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १०८ में, उपधारा (१) में, खण्ड (घ) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा १०८ का संशोधन.

“(एक) ऐसे व्यक्तियों के अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या दायित्व, यदि कोई हों;”

१४. मूल अधिनियम की धारा ११० में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ११० का संशोधन.

“(१) पटवारी या नगर सर्वेक्षक या धारा १०९ के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा १०९ के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आए, इस प्रयोजन हेतु विहित किए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा.”

धारा ११४ का संशोधन. १५. मूल अधिनियम की धारा ११४ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) धारा १०७ के अधीन ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा;”.

धारा १२९ का संशोधन. १६. मूल अधिनियम की धारा १२९ में, उपधारा (८) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(८) धारा ४४ तथा ५० में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील या पुनरीक्षण का आवेदन, इस धारा के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाहियों के विरुद्ध नहीं होगा.”.

धारा १३४ का संशोधन. १७. मूल अधिनियम की धारा १३४ में, शब्द एवं अंक “धारा १३१, १३२ या १३३” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “धारा १३१ या १३३” तथा शब्द “पांच सौ रुपये” के स्थान पर, शब्द “पांच हजार रुपये” स्थापित किए जाएं.

धारा १५८ का संशोधन. १८. मूल अधिनियम की धारा १५८ में, उपधारा (३) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आने वाले व्यक्ति से भिन्न ऐसा व्यक्ति पट्टे या आवंटन की तारीख से दस वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी भूमि अंतरित नहीं करेगा और उसके पश्चात् धारा १६५ की उपधारा (७-ख) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त कर ऐसी भूमि अंतरित कर सकेगा:—

- (एक) मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २ के खंड (२०) में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी;
- (दो) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १९७३) की क्रमशः धारा ३८ तथा ६४ के अधीन गठित किसी नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण;
- (तीन) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ३ सन् १९७३) के अधीन गठित मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल;
- (चार) कम्पनी अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १८ सन् २०१३) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार ५१ प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करती है;
- (पांच) कोई व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है;
- (छह) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई शासकीय सत्ता जिसे भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटित है.”.

धारा १६५ का संशोधन. १९. मूल अधिनियम की धारा १६५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(१) इस धारा के अन्य उपबंधों, धारा १५८ की उपधारा (३) के परंतुक के उपबंधों और धारा १६८ के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए कोई भूमिस्वामी अपनी भूमि में का कोई हित अंतरित कर सकेगा.”.

२०. मूल अधिनियम की धारा १७५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा १७६ का अंतःस्थापन.

“१७६. खाते का परित्याग.—(१) यदि कोई भूमिस्वामी, जो अपने खाते पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पाँच वर्ष तक खेती नहीं करता है, भू-राजस्व का भुगतान नहीं करता है और उसने उस ग्राम को जिसमें कि वह सामान्यतः निवास करता है, छोड़ दिया हो, तो तहसीलदार ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, उस खाते में समाविष्ट भूमि का कब्जा ले सकेगा और एक बार में एक कृषि वर्ष की कालावधि के लिए भूमिस्वामी की ओर से पट्टे पर देकर उस पर खेती की व्यवस्था कर सकेगा.

(२) जहां भूमिस्वामी या भूमि के लिए विधिपूर्वक हकदार कोई अन्य व्यक्ति, उस तारीख के, जिसको कि तहसीलदार ने उस भूमि का कब्जा लिया हो, आगामी कृषि वर्ष के प्रारंभ से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर उस भूमि के लिए दावा करता है, वहां वह भूमि, शोध्यों का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया जाने पर तथा ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसी कि तहसीलदार ठीक समझे, उसे वापस दिला दी जाएगी.

(३) जहां उपधारा (२) के अधीन कोई दावा नहीं किया जाता है या यदि कोई दावा किया जाता है और वह नामंजूर कर दिया जाता है तो तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझे, उस खाते को परित्यक्त घोषित करते हुए आदेश करेगा और वह खाता ऐसी तारीख से, जो कि उस आदेश में उस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जाएगा.

(४) जहां कोई खाता उपधारा (३) के अधीन परित्यक्त घोषित कर दिया जाता है, वहां राजस्व की उस बकाया के संबंध में जो कि उस खाते के बाबत उस भूमिस्वामी से शोध्य हों, उस भूमिस्वामी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा.”

२१. मूल अधिनियम की धारा १८३ में, उपधारा (६) में, शब्द “राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित तारीख से” विलोपित किए जाएं.

धारा १८३ का संशोधन.

२२. मूल अधिनियम की धारा २४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २४४ का स्थापन.

“२४४. आबादी स्थल का निपटारा.—इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए, तहसीलदार आबादी क्षेत्र में भूमिस्वामी अधिकारों में आबादी स्थलों का निपटारा करेगा.”

२३. मूल अधिनियम की धारा २४५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा २४५ का संशोधन.

“२४५. भू-राजस्व मुक्त गृह स्थल धारण करने का अधिकार.—आबादी में स्थित युक्तियुक्त माप (डायमेंशन) का कोई भवन स्थल, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१८ के प्रारंभ होने के समय किसी कोटवार द्वारा धारित है या किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे ग्राम में या उस ग्राम में जिसमें कि सामान्यतः ऐसे ग्राम से खेती की जाती है, भूमि धारण करता है या कृषि शिल्पी या कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करता है, भू-राजस्व के भुगतान के दायित्वाधीन नहीं होगा.”

२४. मूल अधिनियम की धारा २४८ में, उपधारा (१) में, शब्द तथा अंक “धारा २३७ के अधीन” के पश्चात् शब्द तथा अंक “या धारा २३३-क के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई हो” अंतःस्थापित किए जाएं.

धारा २४८ का संशोधन.

धारा २५७ का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा २५७ में,—

(एक) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ख) भू-सर्वेक्षण की अधिसूचना की विधिमान्यता या उसके प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न;”;

(दो) खण्ड (ग) में, शब्द “बन्दोबस्त अधिकारी” के स्थान पर, “जिला सर्वेक्षण अधिकारी” स्थापित किए जाएं.

धारा २५८ का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा २५८ (२) में,—

(एक) खण्ड (एक-क) में, शब्द, कोष्ठक एवं अंक “धारा १३ (२)” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक एवं अंक “धारा १३ की उपधारा (३)” स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(तीन) निर्धारण की दें, प्रीमियम का अधिरोपण और भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण और धारा ५९ के अधीन व्यपवर्तन की प्रज्ञापना के लिए रीति;”;

(तीन) खण्ड (आठ) का लोप किया जाए;

(चार) खण्ड (तेईस) में,—

(क) उपखण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) अधिकार के अर्जन की रिपोर्ट करना, प्रज्ञापना;”;

(ख) उपखण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(ड) नोटिस का लेख, उसकी प्रज्ञापना या उसका प्रदर्शित किया जाना;”;

(पांच) खण्ड (अट्ठाईस) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया, अर्थात्:—

“(अट्ठाईस-क) रीति जिसमें किसी व्यक्ति को धारा १२६ के अधीन संक्षेपतः बेदखल किया जाए;”;

(छः) खण्ड (तैंतीस) का लोप किया जाए;

(सात) खण्ड (पैंतालीस-क) का लोप किया जाए;

(आठ) खण्ड (चौवन) का लोप किया जाए;

(नौ) खण्ड (सत्तावन-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया, अर्थात्:—

“(सत्तावन-क) धारा २३३-क के अधीन संधारित रखे जाने वाले अभिलेख का विहित किया जाना ;”;

(दस) खण्ड (अड़सठ) का लोप किया जाए.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2020

क्र. 2846-38-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO. 14 OF 2020
THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2019

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title
2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 13.
4. Amendment of Section 19.
5. Substitution of Section 22.
6. Amendment of Section 33.
7. Amendment of Section 40.
8. Substitution of Section 47.
9. Amendment of Section 50.
10. Amendment of Section 59.
11. Substitution of Section 67.
12. Amendment of Section 72.
13. Amendment of Section 108.
14. Amendment of Section 110.
15. Amendment of Section 114.
16. Amendment of Section 129.
17. Amendment of Section 134.
18. Amendment of Section 158.
19. Amendment of Section 165.
20. Insertion of Section 176.
21. Amendment of Section 183.
22. Substitution of Section 244.
23. Substitution of Section 245.
24. Amendment of Section 248.
25. Amendment of Section 257.
26. Amendment of Section 258.

MADHYA PRADESH ACT
No. 14 OF 2020

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 7th February, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th February, 2020.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

- Short title.** 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2019.
- Amendment of Section 2.** 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), for clause (u), the following clause shall be substituted, namely :—
- "(u) 'Revenue Officer' means any revenue officer mentioned in Section 11;".
- Amendment of Section 13.** 3. In Section 13 of the principal Act,—
- (i) the proviso to sub-section (2) shall be deleted;
- (ii) after sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:—
- “(3) The State Government, before passing any order under this section on any proposal to alter the limits of any division or district or sub-division or tahsil or to create new or abolish existing division or district or sub-division or tahsil, shall invite objections to such proposals in the prescribed Form and shall take into consideration objections received, if any.”.
- Amendment of Section 19.** 4. In Section 19 of the principal Act, for sub-section (2) and sub-section (3), the following sub-sections shall be substituted, namely:—
- “(2) The Collector may place a Tahsildar as in charge of a tahsil, who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on him by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.
- (3) The Collector may place one or more Additional Tahsildars and Naib Tahsildars in a tahsil who shall exercise therein such powers and perform such duties conferred or imposed on a Tahsildar by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force, as the Collector may, by an order in writing, direct.”.
- Substitution of Section 22.** 5. For Section 22 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—
- “22. Sub-Divisional Officers-** The Collector may place any Assistant Collector or Joint Collector or Deputy Collector to be in charge of one or more sub-divisions of the district who shall exercise therein the powers and perform the duties conferred or imposed on a Sub-Divisional Officer by or under this Code or by or under any other enactment for the time being in force.”.
- Amendment of Section 33.** 6. In Section 33 of the principal Act, for the word and figure “Section 41”, the word and figure “Section 258” shall be substituted.

7. In Section 40 of the principal Act, the words “in accordance with the provisions of this Chapter” shall be omitted. Amendment of Section 40.
8. For Section 47 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of Section 47.
- “47.Limitation of appeals-** The period of limitation for filing first or second appeal shall be forty-five days from the date of the order appealed against:
- Provided that where an order, against which the appeal is preferred, was made before the coming into force of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, the period of limitation of appeal shall be as provided in the Code prior to the said Amendment Act:
- Provided further that where a party, other than a party against whom the order has been passed *ex-parte*, had no previous notice of the date on which the order was passed, limitation shall be computed from the date of the communication of such order.”.
9. In Section 50 of the principal Act, in sub-section (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:— Amendment of Section 50.
- “(a) the order, if it had been made in favour of the party applying for revision, would have finally disposed of the proceedings; or”.
10. In Section 59 of the principal Act, for sub-section (9), the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of Section 59.
- “(9) If the Bhumiswami fails to give the intimation of diversion under sub-section (6), the Sub-Divisional Officer on his own motion or on receiving such information shall compute the premium and re-assess the land revenue payable on account of such diversion and also impose a penalty equal to fifty per centum of the total amount payable:
- Provided that such re-assessed land revenue shall be payable from the actual date of diversion subject to a maximum period of five years:
- Provided further that no penalty shall be imposed for one year from the date of commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018.”.
11. For Section 67 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of Section 67.
- “67. Formation of survey numbers, block numbers, plot numbers and their grouping into villages in non-urban areas or into sectors in urban areas-**Subject to rules made under this Code, the District Survey Officer may-
- (a) take measurements of the land to which land survey extends and construct such number of survey marks thereon as may be necessary;
- (b) divide such land into survey numbers, recognize existing survey numbers, reconstitute survey numbers or form new survey numbers if such land is used for agricultural purpose;
- (c) divide such land into block numbers, recognize existing block numbers, reconstitute block numbers or form new block numbers if such land is used for non- agricultural purpose;

- (d) divide blocks in plot numbers, recognize existing plot numbers, reconstitute plot numbers or form new plot numbers in land used for non- agricultural purpose;
- (e) group survey numbers and blocks into villages in non-urban areas and into sectors in urban areas:

Provided that the plots of any land lying within the boundaries of a layout approved under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973), shall be deemed to be plots under this Code:

Provided further that except as hereinafter provided and subject to the approved development plan of the area, if any, no survey number or plot number shall henceforth be made of an extent less than the minimum prescribed.”.

Amendment of Section 72. 12. In Section 72 of the principal Act, for the words “at such rates as may be prescribed.” the words “as per rules made under Section 59 and 60.” shall be substituted.

Amendment of Section 108. 13. In Section 108 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (d), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(i) the nature and extent of the respective interests of such persons and the conditions or liabilities, if any, attached thereto;”.

Amendment of Section 110. 14. In Section 110 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

“(1) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised under section 109 shall enter into a register prescribed for the purpose every acquisition of right reported to him under section 109 or which comes to his notice from any other source.”.

Amendment of Section 114. 15. In Section 114 of the principal Act, in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) village map, abadi map and block map under section 107;”.

Amendment of Section 129. 16. In Section 129 of the principal Act, for sub-section (8), the following sub-section shall be substituted, namely-

“(8) Notwithstanding anything contained in sections 44 and 50, no appeal or application for revision shall lie against any order passed or proceedings taken under this Section.”.

Amendment of Section 134. 17. In Section 134 of the principal Act, for the words and figures “section 131, 132 or 133”, the words and figures “section 131 or 133” and for the words “five hundred rupees”, the words “five thousand rupees” shall be substituted.

Amendment of Section 158. 18. In Section 158 of the principal Act, for proviso to sub-section (3), the following proviso shall be substituted, namely: –

“Provided that no such person, other than a person falling under any of the following categories, shall transfer such land within a period of ten years from the date of lease or allotment and thereafter may transfer such land with the permission

obtained under sub-section (7-b) of Section 165:—

- (i) a local authority as defined in clause (20) of Section 2 of the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (No. 3 of 1958);
- (ii) a Town and Country Development Authority or a Special Area Development Authority constituted under section 38 and 64 respectively of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973);
- (iii) the Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board constituted under the Madhya Pradesh Griha Nirman Evam Adhosanrachna Vikas Mandal Adhinyam, 1972 (No. 3 of 1973);
- (iv) a government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013) in which the State Government has more than fifty one percent shares;
- (v) a person to whom land is allotted in Bhumiswami rights by the State Government through auction;
- (vi) any government entity, notified by the State Government from time to time, to whom land is allotted in Bhumiswami rights.”.

19. In Section 165 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 165.

- “(1) Subject to the other provisions of this Section, provisions of the proviso to sub-section (3) of Section 158 and provisions of section 168, a Bhumiswami may transfer any interest in his land.”.

20. After Section 175 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

Insertion of Section 176.

“176. Abandonment of holding – (1) If a Bhumiswami ceases to cultivate his holding for five years either by himself or by some other person, does not pay land revenue and has left the village in which he usually resides, the Tahsildar may, after such enquiry as he may deem necessary, take possession of the land comprising the holding and arrange for its cultivation by letting it out on behalf of the Bhumiswami for a period of one agricultural year at a time.

- (2) Where the Bhumiswami or any other person lawfully entitled to the land claims it within a period of five years from the commencement of the agricultural year next following the date on which the Tahsildar took possession of the land, it shall be restored to him on payment of the dues, if any, and on such terms and conditions as the Tahsildar may think fit.
- (3) Where no claim is preferred under sub-section (2) or if a claim is preferred and disallowed, on the receipt of a report from Tahsildar, the Sub-Divisional Officer, after making such enquiry, as he may deem fit, shall make an order declaring the holding abandoned and the holding shall vest absolutely in the State Government, from such date as may be specified in that behalf in the order.
- (4) Where a holding is declared abandoned under sub-section (3), the liability of the Bhumiswami for the arrears of revenue due from him in respect thereof shall stand discharged.”.

- Amendment of Section 183** 21. In Section 183 of the principal Act, in sub-section (6), the words "from the date as notified by State Government" shall be omitted.
- Substitution of Section 244.** 22. For section 244 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
- Disposal of abadi sites.** "244. Subject to rules made in this behalf, the Tahsildar shall dispose of abadi sites in bhumiswami rights in the abadi area."
- Amendment of Section 245.** 23. For section 245 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
- "245.Rights to hold house site free of land revenue-** Any building site of reasonable dimensions in the abadi, which is held by a kotwar or by a person who holds land or who works as an agricultural artisan or an agricultural labourer in such village or in a village usually cultivated from such village, as on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018, shall not be liable to the payment of land revenue."
- Amendment of Section 248.** 24. In section 248 of the principal Act, in sub-section (1), after the words and figures "under section 237", the words and figures "or set apart for any public purpose under section 233-A" shall be inserted.
- Amendment of Section 257.** 25. In section 257 of the principal Act, -
- (i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(b) any question as to the validity or affect of the notification of a land survey;"
- (ii) in clause (c), for the words "Settlement Officer", the words "District Survey Officer" shall be substituted.
- Amendment of Section 258.** 26. In section 258 of the principal Act, in sub-section (2),-
- (i) in clause (i-a), for the word, bracket and figures "section 13(2)", the words, bracket and figures "sub-section (3) of section 13" shall be substituted;
- (ii) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(iii) rates for assessment, imposition of premium and assessment and reassessment of land revenue and manner for intimation of diversion under section 59;"
- (iii) clause (viii) shall be deleted;
- (iv) in clause (xxiii) ,-
- (a) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely-
- "(a) reporting of acquisition of right, intimation;"
- (b) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
- "(e) writing, intimation or displaying of notice;"
- (v) after clause (xxviii), the following clause shall be inserted, namely-
- "(xxviii -a) manner in which a person may be summarily ejected under section 126;"

-
- (vi) clause (xxxiii) shall be deleted;
 - (vii) clause (xlv-a) shall be deleted;
 - (viii) clause (liv) shall be deleted;
 - (ix) for clause (lvii-a), the following clause shall be substituted, namely-
“(lvii-a) prescription of the record to be maintained under section 233-A;”;
 - (x) clause (lxviii) shall be deleted.